

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक / / 2019

विषय : स्व० (डा०) रविन्द्र कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहट, नवादा को 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश : वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1829 दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञापांक-122(25) दिनांक-23.01.2019 के आलोक में स्व० (डा०) रविन्द्र कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहट, नवादा को 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-888(5) दिनांक-11.7.2018 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(3) स्व० (डा०) रविन्द्र कुमार, की मृत्यु की तिथि 12.01.2015 है।

(4) स्व० (डा०) रविन्द्र कुमार की पत्नी श्रीमती सुषमा कुमारी की मृत्यु तिथि-24.08.2016 है (छायाप्रति संलग्न)।

(5) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णत संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही स्व० (डा०) रविन्द्र कुमार के पुत्र-हर्ष आनन्द रवि के पक्ष में प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(जगदीश कुमार)

पटना, दिनांक 25/04/2019

ज्ञापांक-2/पेन-12/2019- 980(2)
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ सिविल सर्जन, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, हिलसा, नवादा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहट, नवादा/माता-स्व०(श्रीमती) सुषमा कुमारी, पिता- स्व० डा० रविन्द्र कुमार, पुत्र हर्ष रवि आनन्द, ग्राम/मुहल्ला-देवनगर, पो०+थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।